

संख्या-524/35-आ-1/2011

प्रेषक,
हिमांशु सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
निदेशक,
पशुपालन उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

राज्य योजना आयोग-1

लखनऊ: दिनांक 11 अप्रैल, 2011

विषय:-बुन्देलखण्ड पैकेज के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना हेतु धनराशि की अवमुक्ति।

महोदय,


उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गत वित्तीय वर्ष 2010-11 में शासनादेश संख्या-2260/35-आ-1/2010, दिनांक 27 सितम्बर, 2010 के माध्यम से बुन्देलखण्ड पैकेज के अधीन पशुधन विकास से संबन्धित निम्नांकित मदों/परियोजनाओं को रु. 2996.00 लाख की लागत (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से वित्त पोषित) पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए अनुमोदित लागत के सापेक्ष रु. 1631.65 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसमें से वर्ष 2010-11 में मात्र रु. 660.84 लाख का व्यय हुआ है तथा शेष धनराशि समर्पित हो गई। अतः इन परियोजनाओं के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने के लिये निम्नानुसार वांछित अवशेष रु. 2335.16 लाख (रुपये तेइस करोड़ पैतीस लाख सोलह हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(लाख रु.)

मद	अनुमोदित लागत	31.03.2011 तक व्यय	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1 Establishment of A.I. Centers through assistance to NGO's	1533.09	0.00	1533.09
2 Establishment of fodder banks and compressed fodder block unit in bundelkhand region:	0.00	0.00	0.00
A Fodder banks	210.00	120.00	90.00
B Fodder block	358.05	110.85	247.20
3 Establishment of goat units	702.86	333.91	368.95
4 Awareness campaign for removal of "Anna Pratha" : a community driven awareness campaign for removal of anna pratha-cluster village approach	192.00	96.08	95.92
TOTAL	2996.00	660.84	2335.16

14/04/2011
अनिमोदित
का. 2260/35-आ-1/2010
M
18-04-2011

- 2- संदर्भित शासनादेशों की अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।
- 3- इस शासनादेश से उक्त कार्य की अनुमोदित लागत के सापेक्ष पूर्ण धनराशि का आवंटन हो जाता है तथा कोई अतिरिक्त धनराशि अवमुक्त किये जाने शेष नहीं रह जाती है। कार्य को मानको के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
- 4- स्वीकृत धनराशि के समक्ष होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2011-12 के बजट के अनुदान संख्या-40 के अंतर्गत संलग्नक में उल्लिखित सम्बंधित लेखाशीर्ष के अन्तर्गत सुसंगत मदों के नामे डाला जायेगा।
- 5- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान कार्यालय, महालेखाकार, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात् 30 जून, 2012 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
- 6- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व सिंचाई विभाग का होगा। तदनुसार कार्यवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की पूर्व निर्धारित प्रारूप पर सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग को प्रेषित की जायेगी।
- 7- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-901/दस-2011-231/2011, दिनांक 21 मार्च, 2011 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भंवदीया,

(हिमांशु सिंह)
विशेष सचिव।


संख्या-524(1)/35-आ-1/2011 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
- 2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
- 3- प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग।
- 4- प्रमुख सचिव, वित्त।
- 5- निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
- 6- मण्डलायुक्त, झांसी/ चित्रकूटधाम।
- 7- जिलाधिकारी, जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/ चित्रकूट।
- 8- मुख्य विकास अधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/चित्रकूट।
- 9- कोषाधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/ चित्रकूट।

- 10- गार्ड फाईल।
- 11- वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-5
- 12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी / ललितपुर / जालौन / हमीरपुर / बांदा / महोबा / चित्रकूट।

आज्ञा से,


(हिमांशु सिंह)
विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या: 524 /35-आ-1/2011, दिनांक 11 अप्रैल, 2011 का संलग्नक

(हजार रु. में)

मद	अवमुक्त धनराशि	लेखाशीर्ष
Establishment of A.I. Centers through assistance to NGO's	153309	लेखाशीर्ष-2575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम आयोजनागत-02-पिछड़े क्षेत्र-800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाएं-09-कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता -20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता
Establishment of fodder bank units	9000	लेखाशीर्ष-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय आयोजनागत-02-पिछड़े क्षेत्र-800-अन्य व्यय-04-बुन्देल खण्ड की विशेष योजनाएं-16- फाडर बैंक इकाईयों की स्थापना -24-वृहद् निर्माण कार्य
Establishment of fodder blocks units	24720	लेखाशीर्ष-4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय आयोजनागत-02-पिछड़े क्षेत्र-800-अन्य व्यय-04-बुन्देल खण्ड की विशेष योजनाएं-17-फाडर ब्लॉक इकाईयों की स्थापना -24-वृहद् निर्माण कार्य
Establishment of goat units	36895	लेखाशीर्ष-2575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम आयोजनागत-02-पिछड़े क्षेत्र-800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाएं-10-बकरी इकाईयों की स्थापना -27-सब्सिडी
Awareness campaign for removal of "Anna Pratha" : a community driven awareness campaign for removal of anna pratha-cluster village approach	9592	लेखाशीर्ष-2575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम आयोजनागत-02-पिछड़े क्षेत्र-800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाएं-11-अन्ना प्रथा की रोकथाम हेतु जनजागरूकता अभियान -42-अन्य व्यय
Total	233516	(रुपये तेइस करोड़ पैंतीस लाख सोलह हजार मात्र)

(हिमांशु सिंह)
विशेष सचिव,नियोजन।

संख्या-561/35-आ-1/2011

प्रेषक,
हिमांशु सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
सेवा में,
निदेशक,
पशुपालन, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

राज्य योजना आयोग-1

लखनऊ: दिनांक 18 अप्रैल, 2011

विषय:-बुन्देलखण्ड पैकेज के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना हेतु धनराशि की अवमुक्ति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-524/35-आ-1/2011, दिनांक 11 अप्रैल, 2011 का अवलोकन करें, जिसमें पशुधन विकास से संबंधित मदों/परियोजनाओं हेतु धनराशि आपके निर्वतन पर रखी गई है।

2. अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित शासनादेश के प्रस्तर-6 में "सिंचाई विभाग" को "पशुपालन विभाग" पढ़ा जाये। इस सीमा तक संदर्भित शासनादेश संशोधित समझा जायेगा।

भवदीया,

(हिमांशु सिंह)
विशेष सचिव।

13/11/2011 12/11/11
दया प्रते आकाश
कलकत्ता का
के भेजा जा रहा है।
आर.नि.ओ. (पे.ओ.)
का/ओ.आ. ए.ओ.ए.

संख्या-561(1)/35-आ-1/2011 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
- 2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
- 3- प्रमुख सचिव, पशुधन/कृषि विभाग।
- 4- प्रमुख सचिव, वित्त।
- 5- निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
- 6- मण्डलायुक्त, झांसी/चित्रकूटधाम।
- 7- जिलाधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/चित्रकूट।
- 8- मुख्य विकास अधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/चित्रकूट।
- 9- कोषाधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/चित्रकूट।
- 10- गार्ड फाईल।
- 11- वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-5
- 12- अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/चित्रकूट।

आज्ञा से,

(हिमांशु सिंह)
विशेष सचिव।

20-4-2011